

Section of BNSS

19(3)

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प.14(6)विविध/गृह-10/2024

जयपुर दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

परामर्शदात्री

यह कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा

19. सहायक लोक अभियोजक में निम्न प्रावधान है-

- (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
- (2) केन्द्रीय सरकार, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी।
- (3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार को चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात्, किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है :

परन्तु कोई पुलिस अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा,-

- (क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके संबंध में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है; या
- (ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की जाएगी। राज्य में सहायक लोक अभियोजक (जिन्हें राज्य में सहायक अभियोजन अधिकारी कहकर संबोधित किया जाता है), के चयन हेतु राजस्थान अभियोजन अधिनियम, 1978 प्रभावी है। सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति एवं पदस्थापना संबंधी कार्य अभियोजन निदेशालय द्वारा किया जाता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 19(3) के प्रावधानानुसार जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक (सहायक अभियोजन अधिकारी) किसी मामले में पैरवी हेतु उपलब्ध नहीं है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट को यह शक्तियाँ हैं कि वह राज्य सरकार को चौदह दिन की सूचना दिए जाने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को मामले में पैरवी हेतु नियुक्त कर सकता है परन्तु उक्त नियुक्ति उक्त प्रावधान के परन्तुक के अधीन होगी।

अतः यह परामर्श दिया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट, किसी प्रकरण में, जहाँ सहायक लोक अभियोजक (सहायक अभियोजन अधिकारी) उपलब्ध नहीं है, में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 19(3) के अन्तर्गत प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर सकते हैं।

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
2. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त परामर्शदात्री की प्रति गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)

Document certified by RAVI SHARMA
<sharma.ravirhjs@gmail.com>

Digitally Signed by RAVI
SHARMA

Designation: Secretary

Date :30-01-2025 05:50:16